ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास

प्रश्न सं0 – ये ट्रिप शीट क्या है?

उत्तर– मालवाहक वाहन के राज्य में प्रवेश करने से पूर्व माल से संबंधित बिलों/चालानों और फार्म–16 आदि का सम्पूर्ण विवरण वैब साइट में दर्ज करके उसका प्रिन्ट आउट लिया जाता है, यही ट्रिप शीट है।

प्रश्न– ई–ट्रांजिट पास क्या है?

उत्तर– आम भाषा में ई–ट्रांजिट पास को –बहती– भी कहते हैं। यदि किसी अन्य राज्य से आ रहे मालवाहक वाहन को उत्तराखण्ड राज्य से होकर किसी अन्य राज्य में जाना है तो उसे उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करने से पूर्व माल से संबंधित बिलों/चालानों आदि का सम्पूर्ण विवरण वैब साइट में दर्ज करके उसका प्रिन्ट आउट लेना है, यही ट्रांजिट पास है। राज्य की सीमा से बाहर जाते ही उक्त ई–ट्रांजिट पास को ऑनलाईन ही खारिज या यूटीलाईज कराना है।

प्रश्न– मुझे इन्टरनेट के माध्यम से ट्रिप शीट या बहती बनानी है। मैं यूजर आई0डी0 और पासवर्ड कैसे प्राप्त करूं?

उत्तर– आपको ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास बनाने हेतु किसी भी यूजर आई0डी0 या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र अपने मालवाहक वाहन की कुछ डीटेल्स को इन्टरनेट में फीड करके वाहन का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराना है। इसके बाद आप जब चाहें ट्रिप शीट या ट्रांजिट पास बनवा सकते हैं।

प्रश्न– मैंने माल से संबंधित सभी सूचनाएं वाणिज्य कर की वैबसाइट पर दर्ज कर दी हैं। क्या मुझे इसका प्रिंट आउट भी लेकर चलना होगा?

उत्तर– हां। आपको अनिवार्य रूप से ट्रिप शीट या ट्रांजिट पास का प्रिन्ट आउट लेकर चलना है।

प्रश्न– मुझे ई–ट्रिप शीट और अन्य कागजातों को कहां पर पास कराना होगा?

उत्तर– अब आपको प्रदेश के बाहर से माल लाने पर राज्य की सीमा में प्रवेश करते समय माल से संबंधित कागजातों को किसी भी चैक पोस्ट या कार्यालय में कहीं भी पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको अनिवार्य रूप से ट्रिप शीट बनाकर ही माल को राज्य के भीतर लाना है, रास्ते में यदि सचल–दल अधिकारी द्वारा आपसे प्रपत्रों की मांग की जाती है तो आपको अपने प्रपत्र दिखाने हैं अन्यथा इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न– मुझे करमुक्त माल का आयात करना है, क्या मुझे इसके लिए भी ई–ट्रिप शीट बनाने की आवश्यकता होगी?

उत्तर– अवश्य। आप को किसी भी माल को प्रदेश के बाहर से भीतर लाने हेतु ट्रिप शीट बनाने की आवश्यकता होगी।

प्रश्न– मैं कम्प्यूटर पर ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास बना रहा था। अचानक इन्टरनेट कनैक्शन टूट गया। क्या मुझे फिर से पूरी ट्रिप शीट बनानी होगी?

उत्तर– नहीं। आपके द्वारा फीड किया जा चुका डाटा सुरक्षित है? आप मॉडीफाई ऑप्शन में जाकर अपना वाहन नम्बर, चेसिस नम्बर अथवा ई–ट्रिप शीट का नम्बर दर्ज करके अपूर्ण ट्रिप शीट को फाइनल सब्मिट से पूर्व जितनी बार चाहें मॉडीफाई कर सकते हैं।

प्रश्न– क्या बिना इन्टरनैट कनैक्शन के ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास बनाना संभव है?

उत्तर– जी हां। बिना इन्टरनैट कनैक्शन के भी आप ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार वाणिज्य कर विभाग की वैबसाइट से ऑफलाइन एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है। इस एक्सेल फाइल पर आप अपनी सुविधानुसार कभी भी माल का विवरण फीड कर ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास तैयार कर सकते हैं। एक बार सम्पूर्ण माल का विवरण फीड करने के उपरान्त आपको इस एक्सेल फाइल से **xml file** बनानी है और इसे वाणिज्य कर विभाग की वैबसाइट के माध्यम से अपलोड किया जाना है। अपलोड करने के उपरान्त आपको ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास का प्रिन्ट आउट लेना है और इसे साथ लेकर राज्य में प्रवेश करना है। इस प्रक्रिया में आपको मात्र फाइल अपलोड करते समय ही कुछ मिनटों के लिए इन्टरनैट कनैक्शन की आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न– मैं कितनी बार ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास बनवा सकता हूं?

उत्तर– इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी बार चाहें ट्रिप शीट या ट्रांजिट पास बनवा सकते हैं। यहां तक कि आप एक बार में एक ही वाहन के लिए ट्रिप शीट एवं ट्रांजिट पास दोनों बनवा सकते हैं।

प्रश्न– मैं ई–ट्रिप शीट को कितनी बार संशोधित या मॉडीफाई कर सकता हूं?

उत्तर– एक बार –फाइनल सब्मिट– करने के उपरान्त आप किसी भी दशा में ई–ट्रिप शीट को संशोधित या मॉडीफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि फीड किये गये डाटा को अच्छी तरह जांचने के उपरान्त ही आप –फाइनल सब्मिट– बटन पर क्लिक करें। किन्तु, फाइनल सब्मिट से पूर्व आप जितनी बार चाहें फीड किये गये डाटा को संशोधित या मॉडीफाई कर सकते हैं।

प्रश्न– मैंने जिस वाहन की ई–ट्रिप शीट बनायी थी वो रास्ते में खराब हो गया। मुझे दूसरी गाड़ी में माल ले जाना है। क्या करूं?

उत्तर– गाड़ी खराब होने या किसी अन्य कारण से माल की पलटी या वाहन बदलने का अधिकार सचल–दल अधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। सुविधा के लिए सभी सचल–दल अधिकारियों के कार्यालय का पता व

दूरभाष नम्बर वैबसाइट पर प्रदर्शित किये गये हैं। आपको सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करके उन्हें स्थिति से अवगत कराना है, वो आपकी ट्रिप शीट में कम्प्यूटर से गाड़ी नम्बर परिवर्तित कर देंगे, अब आपको पुनः ई–ट्रिप शीट का प्रिन्ट आउट लेना है और इसे साथ लेकर चलना है।

प्रश्न– क्या एक ही वाहन के लिए एक ही समय में ई–ट्रिप शीट और ई–ट्रांजिट पास एक साथ बनाये जा सकते हैं?

उत्तर– जी हां। आप एक ही समय में एक ही वाहन के लिए ई–ट्रिप शीट और ई–ट्रांजिट पास पास दोनों बनवा सकते हैं।

प्रश्न– क्या ई–ट्रिप शीट/ई–ट्रांजिट पास, एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है ?

उत्तर– बिल्कुल नहीं। एक ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास केवल एक बार ही प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

प्रश्न– ई–ट्रिप शीट और ई–ट्रांजिट पास में कौन सा सामान अंकित करना है, क्या करमुक्त माल भी अंकित किया जाना है?

उत्तर– जी हां। ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास में करयोग्य माल के साथ–साथ करमुक्त माल भी अनिवार्य रूप से दर्ज करना है।

प्रश्न– वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन की जांच करने पर क्या–क्या प्रपत्र दिखाने जरूरी होंगें?

उत्तर– ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास के साथ–साथ आयात घोषणा–पत्र(फार्म–16), बिल/चालान आदि अन्य प्रपत्र मूल रूप में दिखाने आवश्यक हैं।

प्रश्न– क्या राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का परिवहन करने के लिए भी ई–ट्रिप शीट बनाया जाना अनिवार्य है?

उत्तर – जी नहीं राज्य के भीतर माल के परिवहन हेतु ई–ट्रिप शीट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु राज्य के बाहर से बिना ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास के माल लाये जाने पर आपको विभागीय कार्यवाही का सामना कर पड़ सकता है ।

प्रश्न– मैने ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास बनाने की कोशिश की, मेरा वाहन ब्लॉक प्रदर्शित किया जा रहा है मुझे क्या करना है?

उत्तर– वाहन ब्लाक दिखाये जाने का अर्थ यह है कि आपका वाहन किसी सचल–दल अधिकारी द्वारा किसी कारणवश "ब्लॉक" कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको सम्बन्धित सचल–दल अधिकारी से सम्पर्क कर

आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपना वाहन ''अनब्लॉक'' करवाना है। इसके पश्चात् ही आप ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास बनवा सकेंगे।

प्रश्न– ई–ट्रिप शीट और ई–ट्रांजिट पास बनाने के पश्चात् इसे किसी कार्यालय में जाकर पास तो नहीं कराना है?

उत्तर– नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न– मेरे द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन करने पर वाहन पहले से ही रजिस्टर्ड बता रहा है मैं क्या करू?

उत्तर– वाहन पहले से ही रजिस्टर्ड दिखाने का अर्थ है कि आपका वाहन किसी और व्यक्ति द्वारा गलत विवरण भरकर रजिस्टर्ड करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा स्क्रीन में प्रदर्शित ई–मेल आई0डी0 पर वाहन की आर0सी0 की प्रति स्कैन कर के प्रेषित की जानी है। आपका दावा सही पाये जाने पर गलत रूप से रजिस्टर्ड वाहन को निरस्त कर दिया जायेगा और आप अपने वाहन को बिना किसी समस्या के रजिस्टर करा सकेंगे। कृपया इस तरह की समस्या से बचने के लिए अज्ञात या काल्पनिक नम्बरों के साथ गलत विवरण भरकर वाहनों का पंजीकरण न करायें।

प्रश्न– ई–ट्रिप शीट बनाने के कितने दिनों बाद तक मै राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ।

उत्तर– आपको ई–ट्रिप शीट बनाते समय राज्य में प्रवेश का दिनांक स्वयं अंकित करना पड़ता है। आप द्वारा अंकित की गयी तिथि को आप राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।

प्रश्न– मैने ट्रांजिट पास बनाकर उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश किया था, अब मैं राज्य से बाहर निकल गया हूँ, अब मेरी क्या जिम्मेदारी है?

उत्तर– राज्य से बाहर निकलने के बाद आपको ट्रांजिट पास (जिसे बहती कहा जाता है) खारिज भी कराना होता है। ऐसा न करने पर आपको विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

प्रश्न– अब तो चैक पोस्ट समाप्त हो गयी हैं, तो मै ट्रांजिट पास कैसे खारिज करांऊ ?

उत्तर– अरे, परेशान मत होइए, अब ट्रांजिट पास किसी आफिस में खारिज नही कराना है, बल्कि जैसे ऑनलाइन आपने ट्रांजिट पास बनाया है, राज्य से बाहर निकलने पर वैसे ही ट्रांजिट पास के यूटिलाइजेशन की सूचना आपको ऑनलाइन देनी है। यही ट्रांजिट पास खारिज कराना कहलाता है।

प्रश्न– अगर मैं ट्रांजिट पास खारिज न करांऊ तो क्या होगा ?

उत्तर– आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि आप जब तक पहले ट्रांजिट पास को खारिज नही करांएगे तब तक दुबारा इस वाहन के साथ दूसरा ट्रांजिट पास नही बना सकेंगे। ट्रांजिट पास खारिज न कराने की स्थिति में आपको विभागीय विधिक कार्यवाही का सामना भी करना पड़ेगा।

प्रश्न– पहले बहती जारी करने तथा खारिज करने हेतु राज्य में प्रवेश एवं राज्य से निकास के लिए रास्तों पर चैक पोस्ट लगी थी तथा उन्ही रास्तों से राज्य में आना तथा राज्य से जाना होता था, चैक पोस्ट नही होने पर प्रवेश एवं निकास की क्या स्थिति है ?

उत्तर– अब आपको राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रांजिट पास बनाते समय वेबसाइट पर उल्लिखित मार्गों में से अपनी सुविधानुसार राज्य में प्रवेश एवं राज्य से निकास हेतु मार्ग चुनकर ऑनलाइन सूचित करना है। इसके बाद ट्रांजिट पास तैयार कर तथा ऑनलाइन सबमिट कर उसकी प्रति लेकर ही राज्य में प्रवेश करना है।

प्रश्न– अगर मैं निर्धारित मार्ग का प्रयोग न करूं तो क्या होगा ?
उत्तर–हमारा अनुरोध है कि कृपया निर्धारित मार्ग का ही प्रयोग करें। निर्धारित मार्गो पर अच्छी सड़के तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पूर्व में भी आप इन्ही मार्गों का प्रयोग करते रहें हैं। अतः आपका सफर सुविधाजनक एवं सुरक्षित रहेगा। भिन्न मार्ग अपनाने पर मार्ग में जांच कर रहे विभागीय अधिकारियों द्वारा आपके प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाए जाने की भी संभावना है।

प्रश्न– क्या बहती यूटिलाइजेशन से सम्बन्धित कागजात कंही पास कराने हैं ?
उत्तर– बिल्कुल नही, आपने केवल यूटिलाइजेशन की सूचना आनॅलाइन देनी हैं।

प्रश्न– बहती खारिज करने हेतु क्या प्रमाण देना है ?
उत्तर– ये बहुत आसान है, आपने ट्रांजिट पास यूटिलाइजेशन यूटिलिटि को क्लिक करके उसमें मांगी गयी कुछ सूचनांए भर कर अपलोड कर देनी है।